

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-384/94/अलेसे-11/299

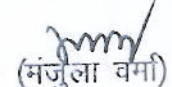
दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री कैलाश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जोधपुर से प्रभारी, आन्तरिक जांच दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कैलाश चन्द आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री कैलाश चन्द को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कैलाश चन्द नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कैलाश चन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

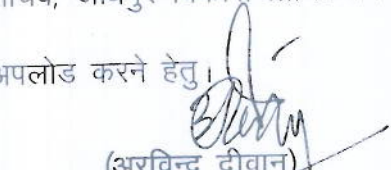

(मंजुला वानी)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-384/94/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जोधपुर।
2. प्रभारी, आन्तरिक जांच दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर।
3. श्री कैलाश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जोधपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-133/92/अलेसे-II / 299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री कमलेश त्रिवेदी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जयपुर से राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री त्रिवेदी आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री कमलेश त्रिवेदी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री त्रिवेदी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कमलेश त्रिवेदी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

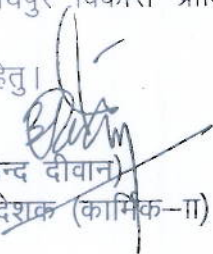

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-133/92/अलेसे-II / 299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर।
3. श्री कमलेश त्रिवेदी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-336/94/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर-1808 से परियोजना निदेशक, पीपीपी सेल सचिवालय, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री माथुर आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री जितेन्द्र कुमार माथुर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री माथुर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र कुमार माथुर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-336/94/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर-1808
2. परियोजना निदेशक, पीपीपी सेल सचिवालय, जयपुर।
3. श्री जितेन्द्र कुमार माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर-1808
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-331/88/अलेसे-II/299

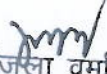
दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर-849 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शहर), जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

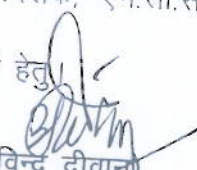

(मंजुसा वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-331/88/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर-849
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शहर), जयपुर।
3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय निदेशक, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर-849
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीखाना)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-366/2011/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.11.2017 द्वारा श्री जयराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झोंत्री, डूंगरपुर-32486 से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जमवारामगढ़ में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री जयराम मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जयराम मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी सूचित रहे।

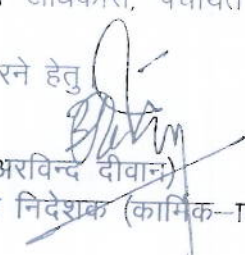

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-366/2011/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झोंत्री, डूंगरपुर-32486
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जमवारामगढ़।
3. श्री जयराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झोंत्री, डूंगरपुर-32486
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-48/2008/अलेसे-II/299

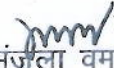
दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.11.2017 द्वारा श्री जयप्रकाश तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, डूंगरपुर-3000537 से निदेशक, पशुपालना विभाग, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तंवर आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री जयप्रकाश तंवर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री तंवर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जयप्रकाश तंवर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

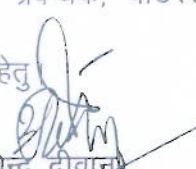

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/जे-48/2008/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, डूंगरपुर-3000537
2. निदेशक, पशुपालना विभाग, जयपुर।
3. श्री जयप्रकाश तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, डूंगरपुर-3000537
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


(अरविन्द धीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-275/2011/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.11.2017 द्वारा श्री हरलाल सिंह खाखल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय उपकोषाधिकारी, आमेट, राजसमन्द से बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौद, सीकर-23175 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री खाखल आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री हरलाल सिंह खाखल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री खाखल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हरलाल सिंह खाखल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-275/2011/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. उपकोषाधिकारी, आमेट, राजसमन्द।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौद, सीकर-23175
3. श्री हरलाल सिंह खाखल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपकोषाधिकारी, आमेट, राजसमन्द।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-538/94/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री हरिशंकर डागा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जोधपुर-1000456 से प्रभारी आंतरिक जांच दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री डागा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री हरिशंकर डागा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री डागा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हरिशंकर डागा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-538/94/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जोधपुर-1000456
2. प्रभारी आंतरिक जांच दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर।
3. श्री हरिशंकर डागा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (एक्स कॉडर), जोधपुर-1000456
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवाना)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-210/92/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री हरफुल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर-913 से निदेशक, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जाट आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री हरफुल जाट को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जाट नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हरफुल जाट को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

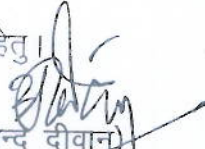

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-210/92/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर-913
2. निदेशक, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, जयपुर।
3. श्री हरफुल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर-913
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-218/92/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.10.2016 द्वारा श्री हरिशंकर सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय कमान अधिकारी, प्रथम राज. आर्म्ड स्क्वैड्रन, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर-851 से आयुक्त, (जिला योजना) पंचायती राज विभाग, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सैनी आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री हरिशंकर सैनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सैनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हरिशंकर सैनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

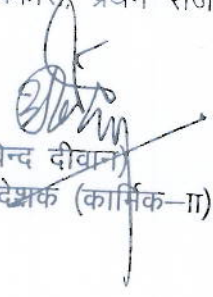

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-218/92/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. कमान अधिकारी, प्रथम राज. आर्म्ड स्क्वैड्रन, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर-851
2. आयुक्त, (जिला योजना) पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. श्री हरिशंकर सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कमान अधिकारी, प्रथम राज. आर्म्ड स्क्वैड्रन, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर-851


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/जी-66/94/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा सुश्री घात्री अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा-909 से कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार सुश्री घात्री अग्रवाल आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

सुश्री घात्री अग्रवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि सुश्री अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त सुश्री घात्री अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिदसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

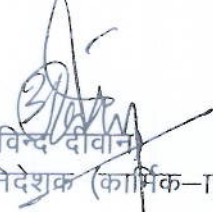

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/जी-66/94/अलेसे-II/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा-909
2. कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
3. सुश्री घात्री अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा-909


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/जी-204/92/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री गिरीश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पहाडी, भरतपुर- 13458 से कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री गिरीश कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गिरीश कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/जी-204/92/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पहाडी, भरतपुर- 13458
2. कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
3. श्री गिरीश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पहाडी, भरतपुर- 13458


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-1/92आर/अलेसे-11/2.99

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री हेमन्त कुमार बिलाला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर से वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बिलाला आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री हेमन्त कुमार बिलाला को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री बिलाला नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हेमन्त कुमार बिलाला को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

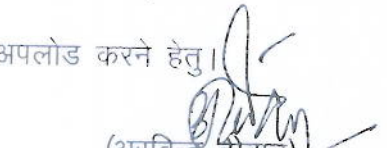

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-1/92आर/अलेसे-11/2.99

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
2. वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री हेमन्त कुमार बिलाला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द धानराज)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-93/94/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री हेम शंकर कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय वित्त (अंकेक्षण) विभाग, सचिवालय, जयपुर-1000017 से निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुमावत आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री हेम शंकर कुमावत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कुमावत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हेम शंकर कुमावत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एच-93/94/अलेसे-11/299

दिनांक- 16.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. वित्त (अंकेक्षण) विभाग, सचिवालय, जयपुर-1000017
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री हेम शंकर कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय वित्त (अंकेक्षण) विभाग, सचिवालय, जयपुर-1000017
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)